संoसंo 9/आo 3 06/2018

**बिहार सरकार**

**स्वास्थ्य विभाग**

**!!संकल्प!!**

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डा0 कमलेश कुमार, कार्यकारी उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, महुआ, वैशाली** के पदस्थापन काल में गंभीर अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त **डा0 कमलेश कुमार** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अधीन **डा0 राजीव कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा **सिविल सर्जन वैशाली** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. **डा0 कमलेश कुमार** से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सहमति प्राप्त है।

**आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29/06/19

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 678 (9) / स्वा0, पटना, दिनांक : 29.06.2019

**प्रतिलिपिः**— आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित **डा0 राजीव कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगें।

29/06/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 678 (9) / स्वा0, पटना, दिनांक : 29.06.2019

**प्रतिलिपिः**— आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित **सिविल सर्जन वैशाली (उपस्थापन पदाधिकारी)** को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/06/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 678 (9) / स्वा0, पटना, दिनांक : 29.06.2019

**प्रतिलिपिः** **डा0 कमलेश कुमार, कार्यकारी उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, महुआ, वैशाली** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29/06/19

सरकार के अवर सचिव।

D:\All Letter 2017 SWETA\Sankalp 2019.docx

**बिहार सरकार**
**स्वास्थ्य विभाग**

**अनुबंध**

1. **सरकारी सेवक का नाम** — डा0 कमलेश कुमार
2. **पदनाम** — कार्यकारी उपाधीक्षक
3. **संवर्ग** — चिकित्सा सेवा संवर्ग
4. **पदस्थापन स्थान** — अनुमण्डलीय अस्पताल, महुआ।
5. **वेतनमान** —
6. **जन्मतिथि** —
7. **सेवानिवृति की तिथि** —
8. **आरोप/लांछन का अभिकथन** — अनुमण्डलीय अस्पताल, महुआ मे वर्ष 2017 मे ईएमटी, एम्बुलेंस चालको के नियुक्ति मे अनियमितता।

## आरोप पत्र

| आरोप सं0 | आरोप/लांछन का अभिकथन |
|---|---|
| 1. | आपके द्वारा अनुमण्डलीय अरपताल महुआ मे वर्ष 2017 मे कुल 10 ईएमटी एवं एम्बुलेंस चालको की अवैध नियुक्ति की गई। |
| 2. | नियमित या संविदा चालक तथा ईएमटी की नियुक्ति रोस्टर क्लिरेंस कराना आवश्यक था, जिसका अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया गया। |
| 3. | एम्बुलेंस पर संविदा पर कार्यरत ईएमटी चालक द्वारा बिना सुचना के अनुपस्थित रहने पर उसकी सूचना जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली के अध्यक्ष –सदस्य– सचिव को देना आवश्यक था, जिसका अनुपालन आपके द्वारा नही किया गया। |

आपका उपर्युक्त कृत अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही को द्योतक है, जिसके लिए आप दण्ड के भागी है।

2/06/19

**(विवेकानन्द ठाकुर)**
सरकार के अवर सचिव

साक्ष्य तालिकाः–

1. सिविल सर्जन वैशाली का पत्रांक 126 दिनांक 20.01.18 (अनुलग्नक सहित)
2. सिविल सर्जन वैशाली का पत्रांक 275 दिनांक 27.06.19 (अनुलग्नक सहित)

D:\All Letter 2017 SWETA\Sankalp 2019.docx

District Health Society, Vaishali (DHS, Vaishali)
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 1860 के तहत निबंधन संख्या 67/2005 – 06

पत्रांक DHS/275 /19-20.   दिनांक 27.06.2019

प्रेषक : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी सह सदस्य सचिव
, वैशाली ।

S.O.9
28/06

सेवा में ,
सरकार के अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग , बिहार सरकार ।

विषय : अनुमंडल अस्पताल , महुआ में वर्ष 2017 में 102 एम्बुलेंस पर चालक एवं ई0एम0टी0 की बहाली में अनियमितता की वस्तु स्थिती सें अवगत कराने के संबध में ।

प्रसंग – आपका पत्रांक 676 A (9) दिनांक 24.06.2019

महोदय् ,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंग के आलोक में कहना है कि अनुमंडल अस्पताल , महुआ में वर्ष 2017 में उपाधीक्षक , अनुमंडल अस्पताल , महुआ के द्वारा 102 एम्बुलेंस के परिचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 05 चालक तथा 05 ई0एम0टी0 की नियुक्ति की गई थी ।

( अनुलंग्नक – क )

उपरोक्त की गई नियुक्ति के संबध में श्रीमती बच्ची मिश्रा , जिला उपाध्यक्ष ; भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल , महुआ के द्वारा उपरोक्त बहाली को अवैध बहाली बताते अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को परिवाद पत्र दिनांक 26.09.2017 को प्राप्त कराया गया ।

प्राप्त परिवाद पत्र पर कारवाई करते हुए , अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा कार्यालय पत्रांक 1916 दिनांक 05.10.2017 के द्वारा उपाधीक्षक , अनुमंडल अस्पताल महुआ के द्वारा की गई एम्बुलेंस चालको तथा ई0एम0टी0 की नियुक्ति की प्रक्रिया की जॉच हेतु अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , वैशाली तथा अपर उपाधीक्षक सह सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के 02 सदस्यीय जॉच दल का गठन करते हुए जॉच कराया गया ।

( अनुलंग्नक – ख )

संबधित जॉच दल के द्वारा एम्बुलेंस चालक तथा ई0एम0टी0 की नियुक्ति की जॉच करते हुए , दिनांक 31.10.2017 को संयुक्त जॉच प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया गया । जॉच प्रतिवेदन में

(8) (49)

जॉच दल के द्वारा उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल , महुआ के द्वारा वर्ष 2017 में की गई एम्बुलेंस चालक तथा ई0एम0टी0 की नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं होने सें संबधित प्रतिवेदन दिया गया । (अनुलंग्नक – ग)

जॉच दल सें प्राप्त संयुक्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर संबधित एम्बुलेंस चालको तथा ई0एम0टी की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए , अद्योहस्ताक्षरी के आदेश संख्या – DHS/563/17–18 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा नियुक्ति को रद्द कर दिया गया । (अनुलंग्नक – घ)

इसके पश्चात् कार्यालय पत्रांक DHS/579/17–18 दिनांक 25.11.2017 के द्वारा उपाधीक्षक , अनुमंडल अस्पताल ,महुआ सें एम्बुलेंस चालको तथा ई0एम0टी0 के अवैध बहाली के संबध में कारण पृच्छा की गयी । (अनुलंग्नक – ड़)

उपाधीक्षक , अनुमंडल अस्पताल , महुआ के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक SDH/277/17 दिनांक 02.12.2017 के द्वारा कारण पृच्छा का जवाब दिया गया । (अनुलंग्नक – च)

उपाधीक्षक , अनुमंडल अस्पताल महुआ के द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण को संतोषप्रद नहीं पाते हुए , कार्यालय पत्रांक 126 दिनांक 20.01.2018 के द्वारा प्रपत्र–क में आरोप का गठन करते हुए , अग्रेतर कारवाई हेतु संयुक्त सचिव , स्वास्थ्य विभाग को पत्र प्रेषित किया गया ।

(अनुलंग्नक – छ)

आउटसोर्सिग / अस्थायी नियुक्ति में आरक्षण लागु करने का संरकार का निदेश सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के संकल्प संख्या 13876 दिनांक 13.11.2017 के द्वारा लागु किया गया । जबकि अनुमंडल अस्पताल , महुआ में जुलाई –2017 में अस्थायी रूप से नियुक्ति की गई थी ।

(अनुलंग्नक – ज)

विश्वासभाजन

27.6

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी सह सदस्य सचिव
, वैशाली ।

# भारतीय जनता पार्टी

**बच्ची मिश्रा**
जिला उपाध्यक्ष
भाजपा, वैशाली

निवास
नया टोला
सेन्ट्रल बैंक के पिछे
हाजीपुर, वैशाली
मो० 9905223121

पत्रांक –

दिनांक 25.09.2017

सेवा में,

सिविल सर्जन संह सदस्य सचिव

जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली।

विषय : अनुमंडल अस्पताल महुआ में 102 एम्बुलेंस पर मनमानी ढ़ंग से अवैध बहाली करने एवं उपाधीक्षक द्वारा अस्पताल में अवैध रुप से पैथोलोजी जाँच में धाँधली करवाये जाने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि अनुमंडल अस्पताल महुआ में 102 एम्बुलेंस पर कुल 10 व्यक्ति का बहाली किया गया है जिसमें काफी पैसा लेकर उपाधीक्षक डॉ0 कमलेश कुमार एवं लिपिक डब्लू चौधरी द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया है। किन्तु इस बहाली से संबंधित कोई भी सूचना प्रकाशित नहीं किया गया था। और दोनों के द्वारा पैसा लेकर गुप्त रुप से बहाली किया गया है।

महाशय को यह भी बताना चाहूंगी कि अस्पताल में उपाधीक्षक एवं सुनील कुमार नाम का एक प्राईवेट व्यक्ति के मिलीभगत से टेलीमेडिसिन के बैनर तले पैसा उगाही करने के उद्वेश्य से यहाँ अस्पताल में आनेवाले गरीब मरीजों से 50 रु से 1000 रु तक जांच का पैसा वसूली किया जाता है। जबकि श्रीमान को ज्ञात है कि बिहार सरकार के सरकारी अस्पताल में जांच का निःशुल्क व्यवस्था है,

श्रीमान से यह भी कहना चाहूंगी कि उपाधीक्षक डॉ0 कमलेश कुमार अस्पताल का संचालन करने के वजाए अपने निजि क्लिनीक का संचालन प्रतिदिन समय सुबह 11:30 से 5 बजे शाम तक करते हैं और अस्पताल में बहुत कम समय रहते हैं जिससे अस्पताल का स्थिति काफी बिगड़ चुका है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त सभी तथ्यों पर अस्पताल में हो रही धांधली का उचित जांच कर दोषी पर कार्रवायी की जाये ताकि गरीब एवं आमजनता को उचित न्याय एवं सुविधा मिल सके और मरीजों को शोषण का शिकार न होना पड़े।

अनुलग्नक : पैथोलोजिकल जांच का छाया प्रति। (2)

श्रीमान का विश्वासी

बच्ची मिश्रा

3346
26/09/17

(47) अनु – ५५ 14 30

**कार्यालयः– असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली।**

**दूरभाष सं0:– 06224–277277 email id: civilsurgeonvaishali@gmail.com**

पत्रांकः 1916 हाजीपुर दिनांकः 5.10.17

प्रेषकः

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
वैशाली।

सेवा में,

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी वैशाली
अपर उपाधीक्षक सह सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
संचारी रोग वैशाली।

विषयः अनुमंडल अस्पताल महुआ में एम्बुलेंस पर मनमानी ढंग से बहाली करने एंव पैथलौजी जांच में धांधली के संबंध में प्राप्त आरोप की जांच।

महाशय,

इस पत्र के साथ श्रीमति बच्ची मिश्रा,जिला उपाध्यक्ष,भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्राप्त परिवाद पत्र अनुलग्न सहित संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृप्या परिवाद पत्र में अंकित आरोपों की जांच कर प्रतिवेदन सुपुस्ष्ट मंतव्य सहित एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अनु0–यथा

विश्वासभाजन

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी वैशाली हाजीपुर

5/10/17

अनु - ~~7~~

पत्रांक: 316

दिनांक: 2/11/17

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली।

विषय: अनुमंडल अस्पताल महुआ में एम्बुलेंस पर मनमानी ढंग से बहाली करने एवं पैथोलॉजी जांच में धांधली से संबंधित आरोप का जांच प्रतिवेदन का प्रेषण।
प्रसंग: भवदीय पत्रांक 1916 दिनांक 05.10.17

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्रांक 1916 दिनांक 05.10.17 के आलोक में जांचदल द्वारा दिनांक 09.10.17 को अनुमंडल अस्पताल महुआ का भ्रमणकर पत्र में वर्णीत बिन्दुओं का क्रमवार जाँच की गई, जिसमें निम्नलिखित तथ्य पाया गया।

**आतूरवाहन 102 पर चालक तथा ई0एम0टी0 की नियुक्ति के संबंध में—**

1. नियमित या संविदा पर चालक तथा ईएमटी की नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस आवश्यक है। उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल महुआ द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है।
2. अनु0 अस्पातल महुआ में तीन आतुरवाहन (102) उपलब्ध है तथा तीनों कार्यरत है।
3. आतुरवाहन 102 पर चयनीत ऐजेंसी डॉ0 जैन विड़ियो ऑन व्हिल्स के द्वारा ईएमटी एवं चालक की नियुक्ति कर एम्बुलेंस अस्पताल को उपलब्ध कराया गया है।
4. आतुरवाहन पर संविदा पर कार्यरत ईएमटी एवं चालक द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित रहने अथवा अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने पर उसकी सूचना जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली के अध्यक्ष/सदस्य सचिव को देना आवश्यक था, जिसका अनुपालन उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल महुआ द्वारा नहीं किया गया।
5. आतुरवाहन पर ईएमटी एवं चालक की अस्थायी रूप से वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उच्चाधीकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसका अनुपालन उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल महुआ द्वारा नहीं किया गया।
6. आतुरवाहन पर ईएमटी एवं चालक को रखने हेतु रोगी कल्याण समिति का बैठक बुलाकर आदेश पारित कराना आवश्यक होता है। जिसका अनुपालन उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल महुआ द्वारा नहीं किया गया।
7. जाँचोपरान्त पाया गया कि रोगी कल्याण समिति की बैठक विगत कई माह से नहीं हुआ है।
8. जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली के पत्रांक DHS/098/15-16 दिनांक 13.05.15 निदेश के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चालक एवं ईएमटी की नियुक्ति के निदेश के आलोक में उपाधीक्षक अनु0अस्पताल महुआ के पत्रांक SDH/132/17 दिनांक 25.05.17 तथा SDH/171/17 दिनांक 11.07.17 के द्वारा सूचनापट्ट पर नियुक्ति हेतु सूचना दी गई, जबकि विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से देना आवश्यक थां।
9. सूचनापट्ट पर अंकित सूचना के आलोक में चालक एवं ईएमटी पद के लिए रोगी कल्याण समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 01.07.17 को दो सदस्यीय कमिटि द्वारा आवेदन की स्कुटनी की गई तथा योग्यता प्रमाण के जांचोपरान्त चयनीत अभ्यर्थियों की सूची पत्रांक SDH/203/17 दिनांक 26.08.17 को अनुमोदनार्थ सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली को भेजी गई।

7222
4.11.17

(45)

10. जाँच के तिथि तक न हीं रोगी कल्याण समिति के सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त हुआ है और न हीं नियुक्ति से संबंधित सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वा0 समिति, वैशाली का अनुमोदन हीं लिया गया है, जो संदेहास्पद प्रतित होता है। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का साक्ष्य उपधीक्षक अनु0 अस्पताल महुआ द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया हे।

11. पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित एवं चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र एवं योगदान का आवेदन संचिका में संलग्न है। पूरी प्रक्रिया की वैधता भवदीय के दिशा निर्देश में अपेक्षित है।

12. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के ज्ञापांक 10195 दिनांक 13.12.12 के आलोक में टेलिमेडिसिन अनुमंडल अस्पताल महुआ में पैथोलॉजिकल जांच करने के लिए प्राधिकृत था जिसके तहत् टेलिमेडिसिन के द्वारा जांच मद में प्राधिकृत राशि ली जाती थी। जांच के क्रम में पाया गया कि टेलिमेडिसिन कार्य नहीं कर रही हे। कार्य न करने की सूचना संस्था के पत्रांक Keonics/PHC/2013-18/042843 दिनांक 28.09.15 के द्वारा कार्य करने में असमर्थता जतायी थी। इसलिए जांच के क्रम में अवैध वसूली का आरोप युक्ति संगत प्रतित नहीं होता है।

13. बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सक प्राईवेट प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र है। कर्तव्य पर उपस्थित रहते हुए उपाधीक्षक के द्वारा निजि क्लिनिक का संचालन नहीं किया जाता है तथा नियमित रूप से अस्पताल के रोगियों को सेवा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनु:- 26 पृष्ठ

31.X.17

जिला संचारी पदाधिकारी,
वैशाली (हाजीपुर)।

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
वैशाली (हाजीपुर)।

District Health Society, Vaishali (DHS, Vaishali)
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधन संख्या 67/2005 – 06

44

## आदेश

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , वैशाली तथा जिला संचारी रोग पदाधिकारी , वैशाली के संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि अनुमंडल अस्पताल , महुआ में वर्ष 2017 में अस्थायी रूप से नियोजित किये गये एम्बुलेंस चालको एवं ई0एम0टी0 के चयन में नियमो का पालन नहीं किया गया हैं । अतः अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , वैशाली तथा जिला संचारी रोग पदाधिकारी , वैशाली के संयुक्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल अस्पताल , महुआ में वर्ष 2017 में नियोजित/चयनित निम्नलिखित एम्बुलेंस चालको तथा ई0एम0टी0 का नियोजन/चयन रद्द किया जाता हैं :

1. श्री रघुनंदन कुमार , ई0एम0टी0
2. श्री श्याम कुमार , चालक
3. श्री सुधीर कुमार , ई0एम0टी0
4. श्री मिंटो महतो , चालक
5. श्री शिव विश्वभानु , ई0एम0टी0
6. श्री मुकेश कुमार , चालक
7. श्री नवल किशोर कुमार , ई0एम0टी0
8. श्री संजीव कुमार , चालक
9. श्री सत्येन्द्र कुमार , ई0एम0टी0
10. श्री सुजीत कुमार , चालक

विश्वासभाजन

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति , वैशाली ।

ज्ञापांक DHS/563/17-18 दिनांक 22/11/017

प्रतिलिपि : सभी संबधित एम्बुलेंस चालक तथा ई0एम0टी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : उपाधीक्षक , अनुमंडल अस्पताल महुआ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित ।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति , वैशाली ।

सदर अस्पताल हाजीपुर परिसर, हाजीपुर जिला – वैशाली फोन/फैक्स: 06224–276963, 295063
ई–मेल: dhs vaishali@rediffmail.com / vaishali@statehealthsocietybihar.org

अनु - 5

District Health Society, Vaishali (DHS, Vaishali)

जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली

सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधन संख्या 67/2005 – 06

पत्रांक DHS/579/17-18 दिनांक 25/11/17

प्रेषक : सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली ।

सेवा में,

उपाधीक्षक
अनुमंडल अस्पताल, महुआ ।

विषय : एम्बुलेंस चालको के अवैध नियुक्ति के संबध में कारण पृच्छा ।

महाशय् ,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कहना है कि वर्ष 2017 में आपके द्वारा अनुमंडल अस्पताल, महुआ अंतर्गत एम्बुलेंस पर 05 चालक तथा 05 ई०एम०टी० की अस्थायी रूप सें नियुक्ति की गई, जिसके संबंध में विभिन्न स्त्रोतो यथा जन प्रतिनिधियो के माध्यम सें ज्ञात हुआ की नियुक्ति में नियमो तथा निदेशो की अनदेखी की गई हैं। प्राप्त शिकायतो की जॉच असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली के द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली तथा संचारी रोग पदाधिकारी, वैशाली के द्वारा करायी गई । अपने संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में संबधित जॉच पदाधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया, एम्बुलेंस चालको के नियुक्ति में नियमो/निदेशो की अवहेलना की गई, जो निम्न प्रकार सें हैं :-

1. आपके द्वारा एम्बुलेंस चालको के नियुक्ति के पूर्व उच्चाधिकारी सें कोई अनुमोदन /कोई मार्गदर्शन / दिशा – निदेश प्राप्त नहीं किया गया ।
2. नियुक्ति सें पूर्व रोगी कल्याण समिति का अनुमोदन प्राप्त नही किया गया ।
3. रिक्तियो की सूचना समाचार पत्रो में प्रकाशित नही किया गया ।
4. उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल, महुआ के पत्रांक 203 दिनांक 26.08.2017, जों जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली को प्राप्त नहीं हैं तथा पत्रांक 203 दिनांक 13.10.2017 जों कार्यालय को प्राप्त हैं, दोनो का विषय तथा तिथि अलग –अलग हैं, परन्तु पत्र संख्या एक ही हैं । जो धोर अनियमितता हैं ।

अत : पत्र निर्गत सें 03 दिनों के अंदर आप स्पष्ट करना चाहेगें की क्यों नही उपरोक्त अनियमितताओं के लिए आपके विरूद्ध प्रपत्र क गठित करने हेतु अनुसंशा असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली से की जायें ?

विश्वासभाजन

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली ।

ज्ञापांक – DHS/579/17-18 दिनांक – 25/11/17

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली ।

अनु – '6'

38

**कार्यालयः– असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली।**

**दूरभाष सं0:– 06224–277277 email id: civilsurgeonvaishali@gmail.com**

---

पत्रांकः 126 हाजीपुर दिनांकः 20.1.18

प्रेषकः असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
वैशाली।

सेवा में,

संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग,बिहार,पटना।

विषयः डा0कमलेश कुमार,कार्यकारी उपाधीक्षक,अनुमंडल अस्पताल महआ के विरूद्ध प्रपत्र–क में आरोपों का गठन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस पत्र के साथ डा0 कमलेश कुमार,कार्यकारी उपाधीक्षक, अनुमंडल अस्पताल महआ के विरूद्ध विभागीय कार्यवाई संचालित करने के लिये प्रपत्र–क में आरोप संधारित कर आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनु0– [redacted] ७ (सौ)

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी वैशालीहाजीपुर

ज्ञापांकः 126 हाजीपुर दिनांकः 20.1.18

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी वैशाली को सूचनार्थ अग्रसारित।

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वा0सेवायें,तिरहत प्रमंडल मुजफरपुर को सूचनार्थ अग्रसारित।

अनु0– [redacted] ७ (सौ)

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी वैशालीहाजीपुर

(3) 69

# कार्यालयः– असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली।

दूरभाष सं0:– 06224–277277 email id: civilsurgeonvaishali@gmail.com

प्रपत्र–क

1.आरोपित पदाधिकारी का नाम — डा0 कमलेश कुमार

2.पदस्थापित स्थान — अनुमंडल अस्पताल महुआ

(सम्प्रति–कार्यकारी उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल,सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,महुआ)

3.वेतनमान–ग्रेड पे — 8700/–

4.पदस्थापन की तिथि — दिनांक 8.7.2016 से पदस्थापित

| आरोप का विवरण | साक्ष्य |
|---|---|
| 1.अनुमंडल अस्पताल महुआ में 102 एम्बुलेंस पर कुल दस चालक एंव ई0एम0टी0 की नियुक्ति मनमाने ढंग से एंव अवैध रूप से करने का परिवाद पत्र श्रीमति बच्ची मिश्रा,उपाध्यक्ष,भारतीय जनता पार्टी,वैशाली द्वारा प्राप्त हुआ।प्राप्त परिवाद की जांच इस स्तर से जिला संचारी रोग पदाधिकारी वैशाली एंव अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी वैशाली से कराई गई। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी वैशाली से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार डा0कमलेश कुमार,कार्यकारी उपाीक्षक अनुमंडल अस्पताल महुआ द्वारा वर्ष 2017 में कुल दस ई0एम0टी0–एम्बुलेंस चालकों की नियुक्ति की गई थी,जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया।प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,जिला स्वा0समिति वैशाली के आदेश ज्ञापांक 563/17–18 दिनांक 22.11.17 द्वारा सभी नियुक्त चालक एंव ई0एम0टी0की नियोजन–चयन को रदद किया गया। | 1.श्रीमति बच्ची मिश्रा,उपाध्यक्ष का परिवाद पत्र<br>2.अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी वैशाली का जांच प्रतिवेदन पत्रांक 316 दिनांक 2.11.17<br>3.सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,जिला स्वा0 समिति वैशाली के ज्ञापांक 563/17–18 दिनांक 22.11.17 की छाया प्रति |
| 2.डा0कमलेश कुमार,कार्यकारी उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल महुआ से उपरोक्त कृत्य के लिये स्पष्टीकरण पूछा गया,जिस कम में प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया।इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि डा0 कमलेश कुमार द्वारा मनमाने ढंग से अवैध रूप से सारे नियमों को दरकिनार रखते हुए दस एम्बुलेंस चालक एंव ई0एम0टी0की नियुक्ति की गई। | 1.सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,जिला स्वास्थय समिति वैशाली के पत्रांक 579 दिनांक 25.11.17<br>2.डा0कमलेश कुमार,उपाधीक्षक का स्पष्टीकरण पत्रांक 277 दिनांक 2.12.17 |

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी वैशालीहाजीपुर

अनुलग्नक –"J"

पत्रांक–23/आउटसोर्सिंग–01/2017.सा.प्र. 14556/

**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पषद (सिपाही भर्त्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार ,पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 17.11.17

**विषयः–** **आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–13876 दिनांक–03.11.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आउट सोर्सिंग के तहत् प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है।

सम्प्रति सभी विभागों में आउट सोर्सिंग के तहत् कर्मी कार्यरत हैं, जिनके संदर्भ में आरक्षण विषयक कोई लेखा–जोखा नहीं है, इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के स्तर पर आउट सोर्सिंग के तहत् प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण के संबंध में आँकड़े संधारित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने–अपने विभागों/कार्यालयों में कार्यरत यथा भविष्य में आउट सोर्सिंग के तहत् प्रदान/प्राप्त की जाने वाली आरक्षण कोटिवार कर्मियों के संदर्भ में सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही आउट सोर्सिंग के तहत् कर्मियों को प्राप्त करते समय इस आशय का प्रमाण–पत्र देना सुनिश्चित किया जाय कि इसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया गया है।

**अनु॰:– यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

16.11.17

**(शिवमहादेव प्रसाद)**
सरकार के अवर सचिव।

(2)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

— : संकल्प :—

विषय :— आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू करने के संबंध में।

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991, (बिहार अधिनियम–3/1992) एवं समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियमों द्वारा राज्याधीन सभी प्रकार की सेवाओं में आरक्षण प्रभावी किया गया है।

(2) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991, (बिहार अधिनियम–3/1992) की धारा–3(च) में निहित प्रावधानानुसार 45 से कम दिनों के लिए अस्थायी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं था, जिसे बिहार अधिनियम–11/1993 द्वारा विलोपित कर दिया गया अर्थात सभी प्रकार की नियुक्तियों में आरक्षण प्रभावी होगा।

(3) सम्प्रति राज्य की विभिन्न सेवाओं में कार्यहित में विभिन्न श्रोतों/ऐजेंसियों आदि द्वारा आउट सोर्सिंग के तहत विभिन्न प्रकार के पदों पर सेवायें प्रदान/प्राप्त की जा रही हैं, परन्तु इस प्रकार की सेवाएँ प्राप्त करने/प्रदान करने में राज्याधीन प्रचलित आरक्षण का अनुपालन हो पा रहा है अथवा नहीं, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। अतः आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में राज्याधीन प्रचलित आरक्षण का प्रावधान लागू करने संबंधी आदेश निर्गत किया जाना आवश्यक हो गया है।

(4) अतः निर्णय लिया गया है कि आउट सोर्सिंग के तहत सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं/एजेंसियों आदि द्वारा आरक्षण का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस क्रम में सेवा उपलब्ध कराने से पूर्व राज्याधीन प्रचलित आरक्षण के प्रावधानों के आलोक में संबंधित सेवा के अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार कर लिया जाय एवं इसी पैनल से अधियाचना के आधार पर संबंधित विभाग एवं कार्यालय को ऐसे कर्मियों की सेवा उपलब्ध करायी जाय। साथ ही आउट सोर्सिंग के तहत सेवा प्राप्त करने वाले संस्थान/कार्यालय/विभाग आदि का भी दायित्व बनता है कि सेवा प्रदायी एजेंसी से आरक्षण का अनुपालन किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कर्मियों की सेवाएँ ली जाय।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

**आदेश**—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
3/11/17
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/RAMASIN - OUT SOURCING SAMLEKH

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–05/2017 सा0प्र0 13876 पटना–15, दिनांक– 3-11-17

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/- 3/11/17

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–05/2017 सा0प्र0 13876 पटना–15, दिनांक– 3-11-17

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

ह0/- 3/11/17

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/NAVLESH – OUT SOURCING/E SAMLEKH